संख्या–2134 / 26–3–2010–01(ब0प्र0) / 2009

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 1. सितम्बर ~~अगस्त~~ 2010

विषयः– डा0 अम्बेडकर ग्रामों में ''डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों'' के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के संबंध में शासनादेश संख्या–966 / 26–3–2010–01(ब0प्र0) / 09, दिनांक 12 मार्च, 2010 शासनादेश संख्या–1812 / 26–3–2010–01(ब0प्र0) / 09, दिनांक 18 मई, 2010 एवं शासनादेश संख्या–2134 / 26–3–2010, दिनांक 30 जून, 2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– शासनादेश संख्या– 2134 / 26–3–2010, दिनांक 30 जून, 2010 द्वारा डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के संबंध में यह निर्देश दिये गये थे कि कुछ निर्माण एजेंसियों द्वारा अपने स्तर से डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के मानकों में परिवर्तन एवं लागत में वृद्धि आदि के प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे हैं जो किसी भी दशा में इस योजना के अंतर्गत अनुमन्य नहीं है। इस संबंध में पूर्व में स्पष्ट किया गया था कि डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्र हेतु मानक लागत रू0 16.39 लाख ही है एवं इसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि अनुमन्य नहीं है। अतः डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण इसी लागत के अंतर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी स्तर पर भूमि की दशा के कारण आगणन में वृद्धि करने की कोई बात पैदा होती है तो ऐसे मामलों में भूमि परिवर्तन किया जाना ही श्रेयस्कर होगा।

3– अतः उक्त के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनपद में बनने वाले डा0 अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों के लिए भूमि की उपलब्धता वर्ष 1995–96 व 1997–98 के डा0 अम्बेडकर ग्रामों में ही प्राप्त किये जाने का पुनः प्रयास किया जाये एवं अपने मण्डलायुक्त के माध्यम से पूर्व से निर्धारित प्रारूप पर सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2134(1) / 26–3–2010 तददिनांकः

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया पुनः अपने मण्डल के जनपदों के संबंध में लक्ष्य एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।